**वित्त निर्देश 2001/29**

# छत्तीसगढ़ शासन
## वित्त विभाग
## डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 1231/ब-1/चार/वित्त/2001 रायपुर, दिनांक 7.12.2001

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय:- राज्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने बाबत् ।

संदर्भ:- म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 17.1.2001/ब-7/चार दिनांक 14.1.200

मध्यप्रदेश शासन के संदर्भित आदेश द्वारा प्रदेश में सभी प्रकार की नियुक्तियों पर 31.12.2000 तक प्रतिबंध लगाया गया था । उसी अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि :-

1. विभागों के सेट-अप में जो पद सृजित किये गये है, अथवा किये जायेगें उन पर ही वित्त विभाग की स्वीकृति से नियुक्तियाँ की जा सकेगी । नवीन सेट-अप में सृजित पदों में प्रथमत: अविभाजित मध्यप्रदेश से आये कर्मचारी ही समायोजित किये जायेगें । तदोपरान्त अन्य विभागों के अतिशेष कर्मचारी समायोजित किये जायेगें ।
2. आगामी आदेश तक सभी प्रकार की नियुक्तियाँ पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी ।
3. उपरोक्त प्रतिबंध निम्न पर लागू नहीं होगा :-
   - (i) लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पद ।
   - (ii) अनुकम्पा के आधार पर किये जाने वाली नियुक्तियां ।
   - (iii) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद ।
   - (iv) शैक्षणिक संस्थाओं के शैक्षणिक पद ।
   - (v) शासकीय अस्पतालों के तकनीकी पद जैसे- डाक्टर, कम्पाउंडर, नर्स आदि ।
   - (vi) रिक्त पदों के विरूद्ध कम्प्यूटर प्रोग्रामर व प्रौद्योगिकी से संबंधित नवसृजित पद ।
4. आकस्मिकता व्यय से वेतन पाने वाले पदों पर दैनिक वेतन पर नियुक्तियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी । यदि किसी प्रकरण में यह पाया गया कि ऐसी नियुक्ति बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से की गई है तो नियुक्तकर्ता अधिकारी से ऐसे व्यय की वसूली की जाएगी ।

5. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को सेवानिवृत्ति होने पर सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति नहीं दी जायेगी ।

6. यह आदेश प्रदेश के सभी निगम /मंडल/प्राधिकरण एवं स्वशासी संस्थाओं (जैसे - विश्वविद्यालय, आयोग आदि) में भी लागू होगी । वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1102/बी-5/चार/ वित्त/2001 दिनांक 15.10.2001 जो छत्तीसगढ़ में निर्मित निगम/मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं (जैसे- विश्वविद्यालय, आयोग इत्यादि में नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने बाबत् जारी निर्देश यथावत् रहेगें ।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार**

**(एस.के. मिश्रा)**
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 1232/वित्त/बी-1/2001 रायपुर, दिनांक 07.12.2001

प्रतिलिपिः-

राज्यपाल छत्तीसगढ़ के सचिव, रायपुर,
रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) रायपुर,
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) रायपुर,
मुख्य लेखा अधिकारी, मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर,
महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 छत्तीसगढ़, ग्वालियार,
समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़,
समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़,
समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला छत्तीसगढ़,
समस्त बजट शाखा, वित्त विभाग
कार्यालयीन प्रति

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

**(~~प्रतीश~~ पाण्डेय)**
**अवर सचिव**
**छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग**